भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या -1378

(जिसका उत्तर गुरुवार, 12 दिसंबर, 2013/21 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया गया)

<u>कारपोरेट क्षेत्र की धोखाधड़ी</u>

1378. श्री पी. करूणाकरन:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कारपोरेट क्षेत्र की धोखाधड़ी बढ़ रही है;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कारपोरेट क्षेत्र में सामने आई धोखाधड़ी का ब्यौरा क्या है और इनका प्रकार और स्तर क्या था; और
(ग) ऐसी धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अब तक) के दौरान, मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 और 237 के तहत, मंत्रालय के गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के माध्यम से कथित कारपोरेट धोखाधड़ियों के 139 मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। इन मामलों में शामिल आरोप ये हैं - प्रवर्तकों/निदेशकों द्वारा कंपनी की निधियां बेईमानी से निकालना/उनका अन्यत्र उपयोग करना, लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों में छेड़-छाड़ करना और कंपनियों द्वारा जनता से पैसा वसूलने के लिए पिरामिडल स्कीमें चलाना तथा सामूहिक निवेश योजनाओं का दुरुपयोग करना, आदि। वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित हैः

वर्ष	जिन कंपनियों के जांच आदेश दिए गए उनकी संख्या
2010-11	05
2011-12	12
2012-13	46
2013-14 (अब तक)	76*
योग:	**139**

***(इसमें उन पांच समूहों की वे 58 कंपनियां भी शामिल हैं जिनके विरूद्ध पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में चिट फंड गतिविधियों के लिए जांच की जा रही है)**

तथापि, उपर्युक्त के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि कारपोरेट धोखाधड़ियों में कोई वृद्धि हुई है।

(ग): सरकार ने कंपनियों में धोखाधड़ियों को रोकने और उनसे निपटने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं:

- हाल ही में अधिनियमित कंपनी अधिनियम, 2013 में मूल अपराध के रूप में "धोखाधड़ी" की परिभाषा;
- नए कंपनी अधिनियम के तहत कारपोरेट संचालन के सख्त मानदंड और उसका सख्ती से कार्यान्वयन;
- एसएफआईओ को सांविधिक दर्जा प्रदान करना ;
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम (एससीआरए) और निक्षेपण अधिनियम में संशोधन करके प्रतिभूति कानून (संशोधन) अध्यादेश के माध्यम से प्रतिभूति कानूनों का संशोधन, ताकि 'सेबी' पोंजी स्कीमों को चलाने वाली कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा कानूनों के उल्लंघन संबंधी मामलों को कारगर ढंग से निपटा सके।
- डेटा माइनिंग और अपराध विज्ञान लेखा-परीक्षा तकनीक के जरिए संभाव्य धोखाधड़ियों का पता लगाने में मदद के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग।

*****